

आंध्र प्रदेश राज्य और एक अन्य इत्यादि

बनाम

आर.वी.रायनीम इत्यादि

15 जनवरी, 1990।

[सब्यसाची मुखर्जी, सी.जे., एम.एम.पूछी और

के.जयचंद्र रेड्डी, जे.जे.]

मध्यस्थता अधिनियम, 1940: धारा 14, 17, 30 और 33 - अधिनिर्णय -
चुनौती - अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि - मध्यस्थ ने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया
-केवल अधिनिर्णय देने के मामले में ही न्यायालय कारणों पर गौर कर सकता है।

प्रतिवादी-ठेकेदार ने याचिकाकर्ता के साथ एक पृथ्वी बांध के निर्माण के लिए
एक समझौता किया था। पक्षकारों में मध्य विवाद और मतभेद उत्पन्न हुआ। मध्यस्थ
को एक सन्दर्भ दिया गया था जिसमें प्रतिवादी ने ग्यारह दावे किए थे जिनमें से एक
दावा बाद में वापस ले लिया गया था। मध्यस्थ ने प्रत्यर्थी के पक्ष में समेकित कुल
रुपये 19.39 लाख राशि का अकारण अधिनिर्णय दिया।

प्रत्यर्थी ने न्यायालय का अधिनिर्णय नियम बनाने के लिए न्यायालय के समक्ष
एक दावा दायर किया। याचिकाकर्ता ने अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए एक
आवेदन किया जिसे खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अपील और
पुनरीक्षण को खारिज कर दिया।

इस न्यायालय के समक्ष अन्य बैटन के साथ यह तर्क दिया गया कि यह
अधिनिर्णय लागत और कीमतों में वृद्धि के आधार पर हर्जाना देने के लिए था और
इस तरह की वृद्धि पक्षों के बीच सौदेबाजी के दायरे में नहीं थी। यह भी तर्क दिया

गया था कि यह तथ्य कि मध्यस्थ ने वृद्धि के प्रश्न को ध्यान में रखा था, अधिनिर्णय को खराब कर देगा क्योंकि यह स्पष्ट नहीं था कि क्या उसने वृद्धि के कारण कोई राशि प्रदान की थी ।

विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने **अभिनिर्धारित किया:**

(1) अधिनिर्णय को चुनौती देने के मामलों में अक्सर दो अलग-अलग सुस्पस्थ और भिन्न आधार हैं। एक अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि है और दूसरी यह है कि मध्यस्थ ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। बाद के मामले में न्यायालय मध्यस्थता समझौते पर गौर कर सकता है लेकिन पूर्व के तहत वह तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि समझौते को अधिनिर्णय में शामिल या पढ़ा नहीं गया हो। [58 ए-बी]

मेसर्स सुदर्शन ट्रेडिंग कं. बनाम केरल सरकार और अन्य, [1989] 2 एस.सी.सी. 38, संदर्भित।

(2) केवल एक सकारण अधिनिर्णय में न्यायालय अधिनिर्णय के कारणों पर गौर कर सकती है। न्यायालय के लिए यह खुला नहीं है कि वह मध्यस्थ की मानसिक प्रक्रिया की जांच करे और अटकलें लगाए, जहां मध्यस्थ द्वारा कोई कारण नहीं दिए गए हैं, कि मध्यस्थ को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए क्या प्रेरित किया। [58 डी]

(3) अभिलेख पर यह स्पष्ट नहीं है कि मध्यस्थ ने वृद्धि के कारण हर्जाना देने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। अधिनिर्णय में केवल इतना कहा गया है कि उन्होंने वृद्धि के आधार पर दावे पर विचार किया है। इस तरह के विचार से अधिनिर्णय, इसके बावजूद, अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि के आधार पर खराब नहीं होता है। [58 जी-एच; 59 ए-बी]

(4) मध्यस्थ यह नहीं कहता है कि उसने उस खाते पर कोई राशि प्रदान की है। अभिलेख पर न तो कोई स्पष्ट त्रुटि है और न ही यह संतुष्ट करने के लिए कोई सामग्री है कि मध्यस्थ ने राशि देने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है जैसा कि उसने किया था। [59 बी-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार विशेष अवकाश याचिका (सिविल) संख्या 809/1988

(ए.ए.ओ.) संख्या 1152/86 और सी.आर.पी.संख्या 2728/1986 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 16.3.88 से।

सी.सीतारामैया और जी.प्रभाकर, याचिकाकर्ताओं की ओर से।

आर.एफ.नरीमन, के. प्रभाकर और आर.एन.किशवानी, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

सब्यसाची मुखर्जी, मुख्य न्यायाधिपति।

प्रतिवादी आर.वी.रायनीम, हर भौतिक समय पर, एक प्रथम श्रेणी के ठेकेदार थे, जिन्होंने देवरपल्ली गांव के पास चोड़ावरम तालुक, जिला विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में रायवाड़ा जलाशय परियोजना के श्रृंखला 3360 से 3380-एम तक घाटी भाग में पृथ्वी बांध के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया था। उपरोक्त समझौते के संबंध में पक्षों के बीच विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए। पक्षों के बीच समझौते में मध्यस्थ खंड के अनुसार मध्यस्थ को एक सन्दर्भ दिया गया था। प्रत्यर्थी ने विभिन्न राशियों का दावा करते हुए ग्यारह दावे किए, जिनका विवरण मध्यस्थ द्वारा निम्नानुसार निर्धारित किया गया है।

“1. क्रॉस बंड बनाने के लिए (रुपये लाख में) 15.89 (बाद में घटाकर

	भुगतान और वसूल की गई राशी की वापसी	रु.14.89 लाख)
II	सिक्का ढलाई मुनाफा शुल्क की वापसी	2.071 (वापिस लिया गया)
III	वृद्धि और क्षति	14.00
IV	रेत के लिए अतिरिक्त भार	1.075 (बाद में घटाकर रु. 0.575 लाख)
V	डायफ्राम दीवार की जांच के लिए पानी के नीचे खुदाई के लिए भुगतान	1.030
VI	विभाग द्वारा आंशिक रोकथाम के कारण नुकसान का मुआवजा	1.500
VII	किये गए कार्य के भुगतान नहीं होने के कारण नुकसान का मुआवजा	2.015
VII	अतिरिक्त किराया वसूली	0.730
I	शुल्कों की वापसी	
IX	उपरिव्यय	0.960
X	लागत	0.100

XI. (ए) II और VII पर 24 प्रतिशत ब्याज वसूली की तारीख से।

(बी) 8.30 लाख रुपये पर 24 प्रतिशत प्रति वर्ष 30.11.81 से 12.5.1982 तक।

(सी) II और VII को छोड़कर अधिनिर्णय राशी पर 24 प्रतिशत ब्याज याचिका की तिथि से।

27 जुलाई 1985 को प्रत्यर्थी के पक्ष में 19.39 लाख रुपये की राशि का मध्यस्थ द्वारा अकारण अधिनिर्णय दिया गया, जिसमें उन्होंने निम्न प्रकार कहा:

“दावा II को याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं इस आधार पर वापस ले लिया गया है कि इसे बाद में प्रत्यर्थियों द्वारा वापस कर दिया गया था। मेरे मूल्यांकन के अनुसार शेष दावों (I और III से X) पर, मैं स्वीकार्य दावों की सीमा तक 19.39 लाख रुपये की समेकित राशि प्रदान करता हूँ। प्रत्यर्थियों को याचिकाकर्ता को उन्नीस लाख उनतीस हजार रुपये का भुगतान करना होगा।”

इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि दावा संख्या II जैसा ऊपर उल्लेखित है, वापिस ले लिया गया था। शेष दावों I और III पर मध्यस्थ ने 19.39 लाख रुपये की समेकित राशि ‘उन दावों की सीमा तक जो स्वीकार्य हैं’, का आदेश दिया था। प्रत्यर्थी ने न्यायालय का अधिनिर्णय नियम बनाने के लिए न्यायालय के समक्ष कार्यवाही दर्ज की। याचिकाकर्ता अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए एक आवेदन पेश किया। 21 अप्रैल, 1985 के एक सामान्य निर्णय द्वारा, द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद ने अधिनिर्णय को अपास्त करने के लिए याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया और अधिनिर्णय के संदर्भ में निर्णय को स्वीकार किया। याचिकाकर्ता ने हैदराबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील और एक सिविल पुनर्विलोकन याचिका को प्राथमिकता दी। 16 मार्च, 1988 के एक निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने याचिकाकर्ता की अपील और पुनरीक्षण को खारिज कर दिया। इसने

अभिनिर्धारित किया कि मध्यस्थ का अकारण अधिनिर्णय न्यायालय द्वारा अपास्त किए जाने के योग्य नहीं था।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के उक्त फैसले को चुनौती देते हुए यह विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इस मामले में जिस मुख्य तर्क का आग्रह किया गया था, वह यह था कि अधिनिर्णय एक अकारण अधिनिर्णय था और इस तरह, खराब था। इस आधार पर, 9 दिसंबर, 1988 को इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि इस मामले को 1986 की लंबित दीवानी अपील संख्या 5645 और 5645ए के साथ एक वृहद पीठ के समक्ष रखा जाना चाहिए। उस समय यह प्रश्न इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा विचाराधीन था। इस न्यायालय ने आगे 9 दिसंबर, 1988 को निर्देश दिया कि अधिनिर्णय की पूरी राशि, यदि विचारण न्यायालय में जमा नहीं की जाती है, तो उस तारीख से दो महीने के भीतर विचारण न्यायालय में जमा की जानी चाहिए और जमा किए जाने पर जवाब देने के लिए 50 प्रतिशत राशि निकालने की स्वतंत्रता होगी जो विचारण न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रतिभूति प्रदान करने पर वापस नहीं ली गई है। यह भी दर्ज किया गया कि 50 प्रतिशत पहले ही वापस ले ली गई थी।

जैसा कि यहाँ पहले उल्लेख किया गया है, मुख्य विवाद यह था कि अधिनिर्णय एक अकारण अधिनिर्णय होने के कारण, कानून की दृष्टि से खराब था। रायपुर विकास प्राधिकारी इत्यादि बनाम मेसर्स चोखामल कॉन्ट्रैक्टर्स आदि, जे.एम.टी. टुडे 2 एससी 285, में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए यह तर्क अब सम्पोशनीय नहीं है। तब यह तर्क दिया गया कि अधिनिर्णय ने लागत और कीमतों में वृद्धि के आधार पर हर्जाना देने का इरादा किया है और इस तरह की वृद्धि पक्षों के बीच सौदेबाजी के दायरे में कोई मामला नहीं था और इस कारक को ध्यान में रखते हुए अधिनिर्णय खराब था। हमने अधिनिर्णय के प्रासंगिक हिस्से को निर्धारित किया है। अधिनिर्णय को पढ़ने से, जैसा कि यहाँ पहले निर्धारित किया गया है, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थ ने

'वृद्धि और हर्जाने' के आधार पर किए गए दावे पर विचार किया है, लेकिन उन्होंने कुल रु. 19.39 लाख की राशि का फैसला सुनाया है, जहाँ तक उन्हें मध्यस्थ द्वारा तय किया गए दावों के सम्बन्ध में स्वीकार्य लगता है। वह आगे कुछ नहीं बोलता। ऐसी स्थिति में यह तर्क देना संभव नहीं है कि मध्यस्थ द्वारा अपनी क्षमता से परे अधिकार क्षेत्र का कोई प्रयोग किया गया था। यह सर्वसम्मत है कि अधिनिर्णय को चुनौती देने के मामले में अक्सर दो अलग-अलग आधार होते हैं। एक त्रुटि अभिलेख पर स्पष्ट है और दूसरी यह है कि मध्यस्थ ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उत्तरार्द्ध के मामले में न्यायालय मध्यस्थता समझौते पर विचार कर सकता है लेकिन पूर्व के तहत वह तब तक नहीं कर सकता, जब तक कि समझौते को अधिनिर्णय में शामिल या पढ़ा नहीं गया था। एक अधिनिर्णय इस आधार पर प्रेषित या अलग किया जा सकता है कि मध्यस्थ, इसे बनाने में, अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर गया था और इसके सामने नहीं आने वाले मामलों के साक्ष्य को यह स्थापित करने के लिए स्वीकार किया जाएगा कि क्या अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया गया था या नहीं, क्योंकि विवाद की प्रकृति कुछ ऐसी है जिसे अधिनिर्णय के बाहर निर्धारित किया जाना है। -इसके बारे में फैसले में या मध्यस्थ द्वारा जो कुछ भी कहा जा सकता है। मैसर्स सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी बनाम केरल सरकार और अन्य (1989) 2 एससीसी 38 में इस न्यायालय की टिप्पणियों को देखें।

केवल एक सकारण अधिनिर्णय में न्यायालय अधिनिर्णय में तर्क पर गौर कर सकते हैं। मध्यस्थ की मानसिक प्रक्रिया की जांच करना और अटकलें लगाना अदालत के लिए खुला नहीं है, जहां मध्यस्थ द्वारा कोई कारण नहीं दिया गया है; किस बात ने मध्यस्थ को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया।

तत्काल मामले में मध्यस्थ ने लागतों और खर्चों में वृद्धि के कारण कोई राशि नहीं दी है। अंततः मध्यस्थ ने इस तरह की वृद्धि के आधार पर स्पष्ट रूप से कोई

राशि नहीं दी है और यदि हां, तो कितनी राशि, अभिलेख पर स्पष्ट नहीं है। इन परिस्थितियों में, हमारी राय में, कानून के सुव्यवस्थित सिद्धांतों के आधार पर ऐसा अधिनिर्णय, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मद सं. III को छोड़कर शेष वस्तुएँ भी रुपये 19.33 लाख से अधिक की होंगी। रिकॉर्ड पर यह स्पष्ट नहीं है कि मध्यस्थ ने बढ़ते आरोपों और खर्चों के कारण क्षतिपूर्ति देने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है जो मध्यस्थता के दायरे से बाहर थे। यह तथ्य कि मध्यस्थ ने तनाव बढ़ने के कारण प्रतिवादी द्वारा किए गए दावे पर विचार किया है, यह निर्णय को खराब नहीं बनाता है।

श्री सी.सीतारामैया, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि यह तथ्य कि मध्यस्थ ने वृद्धि के प्रश्न को ध्यान में रखा है, अधिनिर्णय को खराब कर देगा क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि उसने छूट के कारण कोई राशि प्रदान की है या नहीं। हमारा मानना है कि यह तर्क सही नहीं है। अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि के मामले में, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि कोई वस्तु या राशि जिसके लिए मध्यस्थ के पास विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, उसे दे दिया गया है या प्रदान किया गया है। इस मामले में अधिनिर्णय के तौर पर यह स्पष्ट नहीं है। अधिनिर्णय में केवल इतना कहा गया है कि उन्होंने वृद्धि के आधार पर दावे पर विचार किया है। इस तरह का विचार अधिनिर्णय को अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि के आधार पर खराब नहीं बनाता है। वास्तव में, जब कोई दावा किया जाता है, तो मध्यस्थ को किए गए दावे की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए इसे ध्यान में रखना पड़ता है। अधिनिर्णय में कहा गया है कि उन्होंने किए गए दावे को ध्यान में रखा है। अधिनिर्णय में यह नहीं कहा गया है कि उन्होंने उस खाते में कोई राशि प्रदान की है। अभिलेख पर न तो कोई स्पष्ट त्रुटि है और न ही यह संतुष्ट करने के लिए कोई सामग्री है कि

मध्यस्थ ने राशि देने में अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है जैसा कि उसने किया था।

मामले के उस दृष्टिकोण में विशेष अनुमति याचिका में कोई योग्यता नहीं है, इसलिए, यह विफल होना चाहिए, और तदनुसार खारिज किया जाता है। याचिकाकर्ताओं को प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर दी गई राशि को वापस लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब दिए गए निर्णय को देखते हुए, वे प्रतिभूति वापस लेने के हकदार होंगे। हम तदनुसार आदेश देते हैं। आवेदन को उपरोक्त निर्देशों के साथ खारिज किया जाता है।

आर.एस.एस.

याचिका खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।